निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 48/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

सीताराम पुत्र लक्ष्मण जाति बैरवा निवासी ग्राम महासिंहपुरा उर्फ कपूरावाला तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1 श्री हिम्मत सिंह आर.ए.एस. पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी जयपुर उ द्वितीय ।

2 कानाराम पुत्र लक्ष्मण जाति बैरवा निवासी ग्राम महासिंहपुरा उर्फ कपूरावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।

3 लक्ष्मण पुत्र महादेव

4 लाडा पुत्री लक्ष्मण

5 गट्टू पुत्री लक्ष्मण

समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम महासिंहपुरा उर्फ कपूरावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।

6 सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 129/2023 ब उनवानी कानाराम बनाम लक्ष्मण व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत ।

उपस्थितः–

1. श्री दिग्विजय सिंह चन्द्रावत अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री मुकेश कुमार शर्मा अधिवक्ता 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 20.08.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 129/2023 ब उनवानी कानाराम बनाम लक्ष्मण व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय से विन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री मुकेश कुमार शर्मा अधिवक्ता ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि दिनांक 14.05.2024 को प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तारीख पेशी पर उपस्थित हुआ तो

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थी संख्या 2 पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में बैठा मिला तथा अप्रार्थी संख्या 2 के चैम्बर से बाहर आकर प्रार्थी को धमकी दी कि मेरी पीठासीन अधिकारी से बातचीत हो गई और मै शीघ्र ही इस दावे को मेरे पक्ष में निस्तारण करवाऊंगा । यह सुन कर जब प्रार्थी पीठासीन अधिकारी से मिला तो पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थी को यही कहा कि मेरे ऊपर राजनैतिक दबाव है। उक्त प्रकरण का निस्तारण अप्रार्थी संख्या 2 के हक मे करूंगा जिससे प्रार्थी को यह पूर्ण अन्देशा हो गया है कि अप्रार्थी संख्या 2 अब प्रार्थी संख्या 1 से मिलीभगत कर प्रार्थी के विरूद्व निर्णय पारित करने पर उतारू है। अप्रार्थीगण की उक्त हरकतों को देख कर प्रार्थी आश्चर्यचकित हो गया । जब अप्रार्थी संख्या 2 अप्रार्थी संख्या 1 से मिल गया है तो फिर प्रार्थी को न्याय प्राप्त होना असम्भव है। इस प्रकार अप्रार्थी को उक्त न्यायालय से न्याय प्राप्ति की कोई उम्मीद नहीं रही है। ऐसी स्थिति में उक्त मामले को अन्य न्यायालय में निस्तारण हेतु ट्रान्सफर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः उक्त प्रकरण को किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता ने प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण मे विलम्ब करना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय में भी लम्बी तारीखें लेने का प्रयास करता है और मिथ्या कथनों के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नहीं है। न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलेक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner